1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादपत्र में वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है:–

(क) वादिया संख्या 1 गुरमीत कौर के कब्जा काश्त की भूमि:–

| चक नम्बर | पत्थर नम्बर | मु0नं0 | किला नम्बर | तादादी |
|---|---|---|---|---|
| 2एमओडी''बी'' | 83/263 | (14) | 3–8–13–18 | 1.012 है0 |
| खाता सं0 31/27 | | | | |

(ख) वादिया संख्या 2 बलवन्त कौर के कब्जा काश्त की भूमि:–

| चक नम्बर | पत्थर नम्बर | मु0नं0 | किला नम्बर | तादादी |
|---|---|---|---|---|
| 2एमओडी''बी'' | 82/263 | (15) | 3/0.126, | 0.126 है0 |
| खाता सं0 31/27 | 81/263 | (16) | 8–13–18–23 | 1.012 है0 |
| | | | कुल– | 1.138 है0 |

(ग) वादीगण संख्या 3 से 4 बलकरण सिहं–स्वर्ण सिहं–रेशमसिहं के कब्जा काश्त की भूमि:–

| चक नम्बर | पत्थर नम्बर | मु0नं0 | किला नम्बर | तादादी |
|---|---|---|---|---|
| 2एमओडी''बी'' | 83/263 | (14) | 4–7 | 0.506 है0 |
| खाता सं0 31/27 | | | | |

(घ) प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि:–

| चक नम्बर | पत्थर नम्बर | मु0नं0 | किला नम्बर | तादादी |
|---|---|---|---|---|
| 2एमओडी''बी'' | 82/263 | (15) | 3/0.127, 4–5 | 0.633 है0 |
| खाता सं0 31/27 | | | | |

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 23-11-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner